



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- 340

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

श्रीमती शीबू साहिबा,
पिता-श्री बिजन्द्र सिंह यादव,
ग्राम-करगहार, थाना-करगहार,
पोस्ट-करगहार सासाराम,
जिला-रोहतास, पिन-821107

पटना 14, दिनांक- 11/05/2023

विषय- श्रीमती शीबू साहिबा द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत सिरीसवाँ मौजा के खाता संख्या-132, प्लॉट संख्या-1184, 1185, थाना- संख्या-249, सासाराम-चौसा पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01575 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/44411/2020/4230, दिनांक 22.09.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 902, दिनांक 01.10.2020, पत्रांक 809, दिनांक 03.09.2021 एवं पत्रांक 142, दिनांक 23.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/44411/2020/4230, दिनांक 22.09.2020 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर कुल 13 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है। तदआलोक में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV मद की राशि e-challan के माध्यम से जमा करने तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था, जो अभीतक अप्राप्त है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या-2 के आलोक में हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 388/प्रति मा.दि.) के आधार पर रु. 8,65,161/- (आठ लाख पैसठ हजार एक सौ इकसठ रुपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु. 388 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

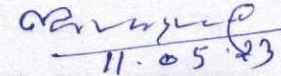
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NPV दर में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधित दर के आलोक में अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल— 0.01575 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि रु. 12,28,590/- प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु. 19,350/- (उन्नीस हजार तीन सौ पचास रुपये) को प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रु. 8,65,161.00 (+) रु. 19,350.00 अर्थात् कुल रु. 8,84,511.00 (आठ लाख चौससी हजार पाँच सौ ग्यारह रुपये) मात्र को विभागीय वेबसाइट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 01 से 13 तक अधिरोपित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राँची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,


11.05.23

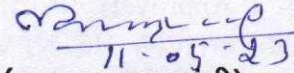
(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC- 340

दिनांक 11/05/2023

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूर्क वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 388/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेन्सी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।


11.05.23

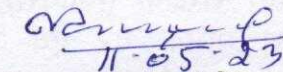
(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC- 340

दिनांक 11/05/2023

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11.05.23

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।